IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

घरेलू हिंसा के पुरुष पीड़ितों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य: एक गहन विश्लेषण

ललित कुमार

शोधार्थी

शोध केंद्र- , शासकीय राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश)

डॉ. विनोद तिवारी

विभागाध्यक्ष, विधि विभाग

राजीव गांधी विधि महाविद्यालय, भोपाल, (मध्य प्रदेश)

सारांश

घरेलू हिंसा की घटनाएं समाज में एक गंभीर समस्या हैं, जिन पर काफी चर्चा होती है और कई कठोर कानून बनाए गए हैं। हालांकि, घरेलू हिंसा के शिकार केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी होते हैं, लेकिन उनके मामले अक्सर अनसुने रह जाते हैं। इस शोध का उद्देश्य पुरुष पीड़ितों के अनुभवों का विश्लेषण करना और समाज तथा कानून की प्रतिक्रिया को समझना है।

कुंजीशब्द : पुरुष पीड़ित ,घरेलू हिंसा ,सामाजिक पूर्वाग्रह , पुरुषों के खिलाफ हिंसा, लैंगिक भेदभाव

प्रस्तावना

घरेलू हिंसा का मतलब है किसी भी घरेलू संबंध में उत्पीड़न, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, यौन, या भावनात्मक हो। पारंपरिक दृष्टिकोण में महिलाओं को ही पीड़ित के रूप में देखा जाता है, लेकिन पुरुष भी इस हिंसा का शिकार होते हैं। पारंपरिक रूप से, समाज महिलाओं को घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में मान्यता देता है। पुरुष पीड़ितों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और उनकी शिकायतों को महत्व नहीं दिया जाता। विडम्बना यह है कि पुरुषों के लिये महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई कानून नहीं हैं। घरेलू हिंसा कानून की धारा 2(अ) के तहत परिवार के किसी पुरुष सदस्य, विशेष रूप से पति को कोई संरक्षण नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय यह मान चुका है कि पति के पास पत्नी के खिलाफ शिकायत करने के लिए घरेलू हिंसा जैसा कोई कानून नहीं है। निश्चित ही घर की चार दिवारी में महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी हिंसा, उत्पीड़न एवं उपेक्षा के शिकार होते हैं। बढ़ती इन घटनाओं के मामले निश्चित तौर पर अदालत के समक्ष फैसले के लिए आएंगे। क्या न्याय की चौखट पर पुरुषों को समुचित न्याय मिल पायेगा? क्योंकि अभी तक ऐसे कानूनों में महिलाओं का ही पक्ष उजागर होता रहा है। जब पुरुष पर होने वाले अत्याचार के लिये कानून में संरक्षण की जगह नहीं है, तो हिंसा के इन सभी स्तरों के पार होने पर उचित न्याय के लिये भारतीय दंड विधान में उचित कानूनी प्रावधानों एवं पुरुष संरक्षण की अपेक्षा महसूस की जायेगी। इसलिये अब ऐसे पूरे मामले पर घरेलू हिंसा के प्रकारों पर गंभीर चर्चा आवश्यक हो गई है। महिला संरक्षण कानूनों का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है जिसका सामना भारत में कई महिलाओं को करना पड़ता है। यह दुरुपयोग कई रूपों में होता है और इसके कई नकारात्मक प्रभाव हैं।

महिला संरक्षण कानूनों का दुरुपयोग

परिवारिक मामलों में हस्तक्षेप: कुछ महिलाएं अपने परिवार के मामलों में कानूनी हस्तक्षेप करके उन्हें परेशान करती हैं।भारत में महिला संरक्षण कानूनों का दुरुपयोग एक गंभीर समस्या है। इसका एक प्रमुख उदाहरण 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005' है।इस कानून का दुरुपयोग निम्न तरीकों से किया जाता है:

महिला संरक्षण कानूनों का दुरुपयोग निम्नलिखित तरीकों से होता है:

1. झूठे आरोप लगाना: कुछ महिलाएं अपने पति या रिश्तेदारों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान करती हैं और कानूनी कार्रवाई की धमकी देती हैं।

2. वित्तीय लाभ के लिए: कुछ महिलाएं घरेलू हिंसा या तलाक के मामलों में वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं।

3. प्रतिशोध लेने के लिए: कुछ महिलाएं अपने पति या रिश्तेदारों से प्रतिशोध लेने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं।

4. परिवारिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना

इस दुरुपयोग के कई नकारात्मक प्रभाव हैं जैसे परिवारों के टूटने में योगदान, पुरुषों पर नकारात्मक प्रभाव और कानूनी प्रणाली पर भरोसा कम होना। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कानूनों में सुधार, जागरूकता अभियान और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों पर कोई विशेष सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दुरुपयोग के नकारात्मक प्रभाव

महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग के कई नकारात्मक प्रभाव हैं:

1. परिवारों के टूटने में योगदान: इन कानूनों का दुरुपयोग परिवारों के टूटने और विघटन में योगदान करता है।

2. पुरुषों पर नकारात्मक प्रभाव: इन कानूनों का दुरुपयोग पुरुषों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और उन्हें परेशान करता है।

3. कानूनी प्रणाली पर भरोसा कम होना: इन कानूनों के दुरुपयोग से कानूनी प्रणाली पर भरोसा कम होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कानूनों में सुधार, जागरूकता अभियान और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत में अभी तक ऐसा कोई सरकारी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की तादाद कितनी है लेकिन कुछ गैर सरकारी संस्थान इस दिशा में जरूर काम कर रहे हैं। 'सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन' और 'माई नेशन' नाम की गैर सरकारी संस्थाओं के एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारत में नब्बे फीसद से ज्यादा पति तीन साल के गृहस्थ जीवन में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना कर चुके होते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आयी है पुरुषों ने जब इस तरह की शिकायतें पुलिस में या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर करनी चाही तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और शिकायत करने वाले पुरुषों को हंसी का पात्र बना दिया गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के बीते साल सामने आए आंकड़े कहते हैं कि 18 से 49 साल की उम्र की 10 फीसदी महिलाएं कभी-न-कभी अपने पति पर हाथ उठाती हैं, वो भी तब जब उनके पति ने उन पर कोई हिंसा नहीं की। इन अत्याचारों एवं हिंसा को लेकर भादंवि में आपराधिक मामलों में कार्रवाई संभव है, इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट से मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन इससे पुरुषों को बहुत अधिक कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता है। वर्तमान दौर में काफी मामलों में परिवारों का बिखरना घरेलू हिंसा का परिणाम माना जाता है। घर की आर्थिक जरूरतें, स्वच्छंद जीवनशैली एवं भौतिकतावादी सोच के कारण पति-पत्नी के बीच तनाव अनेक शक्ल में उभरने लगा है जो हिंसा तक पहुंच जाता । छोटे मामले तो हर घर की कहानी बनने लगे हैं, लेकिन ऐसे मामले तब ही प्रकाश में आते हैं, जब कोई बड़ी घटना-दुर्घटना होती है। ऐसे में संयम, समझ, विवेक, समझौता और सीमाओं की समाज में चर्चा और आवश्यक हो चली है, आकांक्षा-महत्वाकांक्षा अनंत हो सकती हैं, किंतु उन पर नियंत्रण ही शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दुर्भाग्य से यह समाज में गौण हो चला है और उसके घातक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस पर गहन चिंतन-मनन आवश्यक है। यह हिंसा का दौर परिवार की अवधारणा को न केवल बदल रहा है, बल्कि परिवार रूपी संस्था के अस्तित्व को ही नष्ट करने पर तुला है। बहुत से लोगों के लिए ये सोचना भी अविश्वसनीय है कि पुरुषों के साथ हिंसा होती है। वजह ये है कि पुरुषों को हमेशा से मजबूत और ताकतवर माना जाता रहा।

साल 2019 में 'इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन' की रिसर्च के अनुसार हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 21-49 वर्ष की उम्र के एक हजार विवाहित पुरुषों में से 52.4 फीसद ने जेंडर आधारित हिंसा का अनुभव किया। इन आंकड़ों को देख लगता है कि जब संविधान लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का फर्क स्वीकार नहीं करता, तो क्यों घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम पुरुष को सुरक्षा नहीं देता? जबकि विकसित देशों में जेंडरलेस कानून वहां के पुरुषों को न केवल महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन देता है, बल्कि इस बात को भी स्वीकार करता है कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में दो गुने से भी

ज्यादा है। इसके पीछे तमाम कारणों में पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना भी बताया जाता है, जिसकी शिकायत वो किसी फोरम पर कर भी नहीं पाते हैं। साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की ओर से टेलीफोनिक सर्वे किया गया। इस दौरान इंदौर की पौरुष संस्था और राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति दिल्ली को भी पुरुष हेल्पलाइन पर कई शिकायतें मिली। इसमें पाया गया कि लॉकडाउन के दिनों में पत्नियों द्वारा अपने पतियों को प्रताड़ित करने के मामलों में 36 फीसदी की बढ़ोतरी हुई क्योंकि कई पुरुष काम छोड़कर घर पर बैठ गए, या फिर ऑफिस बंद होने से वर्क फ्रॉम होम करने लगे। ऐसे में वे पत्नियों के रवैये से डिप्रेशन में रहने लगे। इन हालातों में दुनिया में अब महिला दिवस की भांति पुरुष दिवस प्रभावी रूप में बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। अब पुरुष भी अपने शोषण एवं उत्पीड़ित होने की बात उठा रहे हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर अधिक उपेक्षा, उत्पीड़न एवं अन्याय की घटनाएं पनपने की भी बात की जा रही है।

समाज रूपी गाड़ी को सही से चलाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि महिलाएं पुरुषों का विरोधी होने के बजाय सहयोगी बने। कुछ वर्ष पूर्व भारत में सक्रिय अखिल भारतीय पुरुष एशोसिएशन ने भारत सरकार से एक खास मांग की कि महिला विकास मंत्रालय की भांति पुरुष विकास मंत्रालय का भी गठन किया जाये। इसी तरह यूपी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने यह मांग उठाई थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसी भी एक संवैधानिक संस्था बननी चाहिए। इन सांसदों ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र लिखने वाले एक सांसद हरिनारायण राजभर ने उस वक्त यह दावा किया था कि पत्नी प्रताड़ित कई पुरुष जेलों में बंद हैं, लेकिन कानून के एकतरफा रुख और समाज में हंसी के डर से वे खुद के ऊपर होने वाले घरेलू अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। प्रश्न है कि आखिर पुरुष इस तरह की अपेक्षाएं क्यों महसूस कर रहे हैं? लगता है पुरुष अब अपने ऊपर आघातों एवं उपेक्षाओं से निजात चाहता है, तरह-तरह के कानूनों ने उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को धुंधलाया हैं। हालांकि, कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने इस दिशा में कुछ अध्ययन किए हैं:

1. 'सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन' और 'माई नेशन' जैसी संस्थाओं के एक अध्ययन में पता चला है कि भारत में 90% से अधिक पति तीन साल की रिश्ते में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का शिकार हो चुके हैं।

2. भारत में अभी तक कोई सरकारी सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं हुआ है जिससे पता चल सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की संख्या कितनी है।

3. पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में दोगुनी है, जिसमें घरेलू हिंसा का शिकार होना एक प्रमुख कारण माना जाता है।

इस प्रकार भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या है, लेकिन इस पर अभी तक कोई विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय कानून में पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा के खिलाफ कुछ संरक्षण उपाय हैं:

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 498A: यह धारा पुरुषों को भी घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण प्रदान करती है। इसके तहत पुरुषों पर होने वाली घरेलू हिंसा के मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।

2. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005: यह कानून पुरुषों को भी घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। पीड़ित पुरुष इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

3. पुलिस और मजिस्ट्रेट से संपर्क: पीड़ित पुरुष पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत: पीड़ित पुरुष राष्ट्रीय महिला आयोग में भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस की भूमिका निम्नानुसार है:

1. शिकायत दर्ज करना: पीड़ित पुरुष पुलिस अधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

2. तत्काल कार्रवाई: पुलिस को पीड़ित पुरुष की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उसे संरक्षण प्रदान करनी चाहिए।

3. कानूनी सहायता: पुलिस को पीड़ित पुरुषों को कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करना चाहिए।

4. जांच और गवाही: पुलिस को घरेलू हिंसा के मामलों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

5. पीड़ितों के लिए संसाधन: पुलिस को पीड़ित पुरुषों के लिए सहायता केंद्र, शरण गृह और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। इस प्रकार पुलिस को पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और उन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग का सामाजिक प्रभाव और भी गंभीर है:

1. पारिवारिक मूल्यों का क्षरण: इन कानूनों का दुरुपयोग पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है।

2. महिला सशक्तिकरण पर प्रतिकूल असर: इन कानूनों के दुरुपयोग से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

3. पुरुषों में असुरक्षा और भय: पुरुषों में इन कानूनों के दुरुपयोग के कारण असुरक्षा और भय का माहौल पैदा होता है।

4. सामाजिक सौहार्द में गिरावट: इन कानूनों के दुरुपयोग से पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक सौहार्द में गिरावट आती है।

5. कानूनी प्रणाली पर विश्वास में कमी: इन कानूनों के दुरुपयोग से कानूनी प्रणाली पर लोगों का विश्वास कम होता है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए कानूनों में सुधार, जागरूकता अभियान और कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ ही पुरुषों के अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण है।

महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. कानूनों में सुधार: कानूनों में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे दुरुपयोग को रोका जा सके। जैसे झूठे आरोपों पर कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था।

2. जागरूकता अभियान: महिलाओं और पुरुषों में इन कानूनों के उद्देश्य और उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने चाहिए।

3. कड़ी कार्रवाई: दुरुपयोग के मामलों में तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे मामले न हों।

4. पुरुषों के अधिकारों की रक्षा: पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।

5. पीड़ितों के लिए सहायता: पीड़ित पुरुषों और महिलाओं के लिए सहायता केंद्र, शरण गृह और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

6. पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका: पुलिस और न्यायपालिका को इन मामलों में सक्रिय और निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए।

इन कदमों से महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की जा सकती है।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा के पुरुष पीड़ितों की स्थिति एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। जबकि घरेलू हिंसा का मुख्य ध्यान महिलाओं पर केंद्रित है, यह आवश्यक है कि हम पुरुषों के अनुभवों और उनकी समस्याओं को भी समझें। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों को अक्सर समाज में गंभीरता से नहीं लिया जाता। यह धारणा कि पुरुष हमेशा मजबूत होते हैं और उन्हें हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए, उनके लिए सहायता प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इससे पुरुष पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है ताकि पुरुष भी अपनी समस्याओं को उजागर कर सकें और उचित समर्थन प्राप्त कर सकें। पुरुष पीड़ितों के लिए विशेष सहायता सेवाओं और संसाधनों की आवश्यकता है। जागरूकता बढ़ाने और पुरुषों के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने से उनकी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। समाज को चाहिए कि वह पुरुष पीड़ितों के मुद्दों को गंभीरता से ले और उनके अनुभवों को मान्यता दे। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है, ताकि लोग समझ सकें कि घरेलू हिंसा किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला।

संदर्भ

- पुरुषों पर घरेलू हिंसा - लेखक: डॉ. सुमन शर्मा
- घरेलू हिंसा और पुरुष पीड़ित - लेखक: डॉ. राजेश कुमार
- पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा: एक अध्ययन - लेखक: डॉ. नीतू वर्मा
- पुरुषों की आवाज़: घरेलू हिंसा के संदर्भ में - लेखक: संजय मिश्रा
- भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा - लेखक: डॉ. अजय सिंह